an>

Title:

डॉ. नैपाल सिंह (रामपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कृषि बीमा योजना के बारे में बोलना चाहता हूं। इतिहास में पहली बार बेमौसम बरसात और ओला वृष्टि से किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसान आर्थिक रूप से टूट चुका है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि बच्चों का पालन-पोषण कैसे करें, कहां से करें और अगली फसल के लिए धन कहां से लाये? किसानों की फसलों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कृषि बीमा योजना चलायी गयी थी ताकि इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए धन प्राप्त कर सकें। यह बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि किसानों की कृषि बीमा योजना से बड़ी उम्मीद थी लेकिन संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। बीमा कम्पनियां किसानों और सरकार से मोटा प्रीमियम लेकर मालामाल हो रहे हैं। आज किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई कहीं से नहीं होने के कारण, वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो गये हैं और यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर अन्नदाता को अपने खून-पसीने से अदा किये गये प्रीमियमों के बराबर भी मदद नहीं मिल पा रही है। मौजूदा कृषि बीमा योजना के तहत किसानों को रबी फसलों का 2136 करोड़ रुपये का बीमा कराया गया है। यह स्कीम 65 जिलों में लागू है। इसके लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के साथ मिलकर किसानों ने 141 करोड़ रुपये का प्रीमियम दिया है। योजना के मुताबिक किसी आपदा के दौरान 50 प्रतिशत फसलों के नुकसान होने पर किसानों को तत्कालीन बीमा राशि का 25 प्रतिशत फीसदी सहायता मिलनी चाहिए। इस लिहाज से अब तक 534 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम किसानों के हाथों में होनी चाहिए लेकिन 7581 किसानों तक कुल 1.65 करोड़ रुपये ही पहुंचे हैं।

13.00 hrs.

ऐसे में मेरा सरकार से आग्रह है कि बीमा कम्पनियों से स्पष्टीकरण मांगे कि किसानों का जिस उद्देश्य से बीमा होता है, उसकी सहायता न होने से बीमा कम्पनियों की मानसिकता का क्या कारण है। मैं बीमा कम्पनियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरो प्रसाद मिश्र और श्री सुमेधानन्द सरस्वती को डा. नेपाल सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।